जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 26 प्रभात जालोर, रविवार 4 मई, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

जातिगत जनगणनाः मण्डल-कमण्डल सोच का विलय है

पर, इस विलय का क्या अर्थ निकलेगा, यह अभी अनिश्चितता के कोहरे में छिपा है, जिसका आंकलन करना, विशेषकर भाजपा के लिये बहुत मुश्किल है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 मई। केन्द्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराये जाने का निर्णय लिये जाने के बाद, मंडल और कमंडल मुद्दों के विलय की प्रक्रिया शुरु हो गई है, और इसके साथ ही, भाजपा के अन्दर इस बात को लेकर काफी बेचैनी है, क्योंकि पार्टी नेताओं द्वारा पहले जातिगत जनगणना की कड़ी आलोचना की गई थी, इसलिए अब चिंता है कि इस पर राजनैतिक खेल क्या होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर दूसरी-तीसरी पंक्ति के भाजपा नेता, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, पहले जातिगत जनगणना कराने के घोर आलोचक रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ की स्थिति खासतौर बड़ी अजीब हो गई है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में "बटेंगे तो कटेंगे" का नारा दिया था तथा उनकी मानयता थी कि जातिगत जनगणना तो विपक्षी दलों की रणनीति है, जिससे हिन्दुओं की कीमत पर, मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया जा सके।

- **योगी आदित्यनाथ का नारा रहा है, "बंटेंगे तो कटेंगे", तो क्या यह नारा निरर्थक हो गया।**
- **योगी आदित्यनाथ, "जातिगत जनगणना" का विरोध इसलिए कर रहे थे, क्योंकि उनकी सोच है कि जातिगत जनगणना, विपक्ष की रणनीति है, मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए और यह आरक्षण, उनके अनुसार, हिन्दुओं का आरक्षण घटाकर दिया जायेगा।**
- **भाजपा में यह भी सोच है कि जाति जनगणना दोधारी तलवार है। एक तरफ तो इस जनगणना ने कांग्रेस व विपक्ष का मुख्य चुनावी मुद्दा उनसे छीन लिया है दूसरी ओर इस निर्णय से भाजपा में भी अंदर ही अंदर काफी बैचेनी है तथा वैचारिक उथल-पुथल है।**

केन्द्र सरकार के इस निर्णय के बाद, योगी आदित्यनाथ ने "समग्र सामाजिक- आर्थिक विकास लाने के लिये शुरु की जाने वाली इस कार्यवाही के लिये प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त" निस्संदेह रुप से किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरी तरह चुप्पी धारण कर ली है। दूसरी तरफ, उनके उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस कदम का स्वागत एवं यशोगान करने के लिये प्रैस कॉन्फ्रेंन्सेज़ आयोजित किये जा रहे हैं। भाजपा के अन्दर कुछ ग्रुपों का मानना है कि जातिगत जनगणना कराने का निर्णय एक दोधारी तलवार है, जिसमें जहाँ कांग्रेस और विपक्षी दलों के प्रचार के मुख्य आधार को तहस-नहस करने की क्षमता है, वहीं यह भाजपा के अन्दर भूचाल ला सकती है।

इन वर्गों का कहना है कि जातिगत जनगणना हो जाने के बाद, कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों की ओर से माँगों की बाढ़ आ जायेगी।

सरकार ने पहले आरक्षण नीति की समीक्षा करने तथा विकास की दौड़ में काफी पीछे रह गई जातियों को चिन्हित करने के लिये जस्टिस रोहिणी आयोग गठित किया था। यद्यपि रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। जाहिर है, राजनेताओं को यह डर था कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक होने से, वह मुद्दा फिर से हावी हो जाएगा, जो अब तक शांत था। भाजपा थिंक टैंक का मानना है कि चूँकि अब जातिगत जनगणना कराने का निर्णय ले लिया गया है, इसलिये रोहिणी आयोग की सिफारिशें एक स्वाभाविक उप-परिणाम के रुप में सामने आ जायेंगी।

एक ही मुद्दे पर दुबारा याचिका दायर नहीं कर सकते

जयपुर, 3 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को हटाने से जुड़े मामले में पुनः याचिका दायर करने वाले तीन याचिकाकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए प्रमुख शिक्षा सचिव को निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी हैं और उन्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश प्रभु दयाल व तीन अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की जानकारी में यह गडबडी आने पर उन्होंने याचिका को वापस ले लिया।

- **याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका वापस ली। हाई कोर्ट ने शिक्षा समिति सचिव को कार्यवाही के आदेश दिये।**

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल (ए.ए.जी.) बीएस छाबा ने अदालत को बताया कि याचिका में शामिल याचिकाकर्ता योगेश, भंवर और रामस्वरूप ने पहले ही इस मुद्दे पर एक याचिका पेश की थी, जिसमें अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपना अभ्यावेदन विभाग के समक्ष देने को कहा था। तथापि, इस याचिका में पूर्व की याचिका

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'2016 की सर्जिकल स्ट्राइक या 2019 की बालाकोट की एयर स्ट्राइक को दोहराने से लाभ नहीं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 मई। सीमा पर चल रहे तनाव तथा लाइन ऑफ कंट्रोल (एल.ओ.सी.) पर दोनों तरफ से हो रहे मिसाइल व आर्टिलरी के बीच, भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों और सैन्य दिग्गजों का मानना है कि भारत अब पाकिस्तान को एक मजबूत निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है, वह भी पारंपरिक युद्ध का सहारा लिए बिना।

- **रणनीति विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अब इन प्रतीकात्मक एक्शन का अभ्यस्त सा हो गया है। अतः इस बार भारत को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान को आर्थिक, कूटनीतिक व अन्य भारी सामरिक नुकसान हो।**
- **इन विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान तो जरूर हो, पर, ऐसी स्थिति न बने कि पूरा खुला युद्ध आरंभ हो जाए।**

देश भर में हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले की स्मृति अभी बिल्कुल ताजा है, इस बीच रणनीतिक हल्कों में इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि भारत अगला कदम क्या उठाएगा। कई सेवानिवृत्त सैन्य जनरल तथा युद्ध के दिग्गजों के अनुसार, भारतीय सशस्त्र बलों ने पहले ही एक अत्यंत सटीक व संतुलित प्रतिक्रिया की तैयारी कर ली है, जो पूर्ण युद्ध का रूप लिए बिना पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश देगा।

रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी, जो कई आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल रहे हैं, ने कहा, "इस बार माहौल अलग है। यह बालाकोट को दोहराने की बात नहीं है। इस बार जवाब अधिक अप्रत्याशित और गहराई तक मार करने वाला हो सकता है।" उन्होंने आगे कहा, "इस बार प्रतिक्रिया का स्तर और दायरा पाकिस्तान की उम्मीदों से कहीं अधिक हो सकता है।"

पहलगाम हमला, जिसमें कई भारतीय लोग शहीद हुए, की राजनीतिक और सैन्य हल्कों में व्यापक निंदा हो रही है। हालांकि, सरकार ने अभी तक किसी भी अभियान की जानकारी नहीं दी है, सूत्रों का कहना है कि थलसेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों मिलकर समन्वित जवाब की रणनीति बना रही हैं। सूत्रों के अनुसार, पूरा जोर सही समय, सटीकता और इनोवेशन पर है।

1971 के भारत-पाक युद्ध में शामिल एक अन्य वॉर वैटरन ने भी नाम नहीं बताने की शर्त पर यही विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, "2016 की सर्जिकल स्ट्राइक या 2019 के बालाकोट हवाई हमलों को दोहराना अब व्यर्थ है। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना अब प्रतीकात्मक जवाबों की आदी हो गई है और इनका कोई असर नहीं होता है। भारत को इस बार पाकिस्तान की कमज़ोर नस पर वार करना होगा, जहाँ उसे सबसे ज्यादा नुकसान हो, यह आर्थिक रूप से, कूटनीतिक रूप से और गुप्त अभियानों के माध्यम से करना होगा।"

हालांकि आधिकारिक सैन्य तंत्र "वेट एण्ड वॉच" की नीति पर कायम है, लेकिन निहितार्थ यही लगता है कि रणनीतिक धैर्य रखते हुए चुपचाप तैयारी जारी रखी जाए। खुफिया सूत्रों के अनुसार, सीमा पार और जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और खुफिया गतिविधियाँ तेज़ कर दी गई है।

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भारत अपने जवाब में साइबर युद्ध, आर्थिक दबाव और विशिष्ट गोपनीय अभियानों के कॉम्बिनेशन पर विचार कर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अंधड़ में जोधपुर डिस्कॉम के 577 पोल गिरे

जैसलमेर के कई गाँव-ढाणियों में लाईट नहीं, डिस्कॉम को एक करोड़ रूपए का नुकसान

जैसलमेर, 3 मई (नि.सं.)। जैसलमेर जिले में गुरुवार की शाम आए अधंड़ ने तबाही मचाई। तेज आंधी से कई गांव-ढाणियों में बिजली चली गई तथा वितरण एवं प्रसारण निगमों को भी बड़ा नुकसान हुआ है।

- **जैसलमेर एसई भैंराराम चौधरी के अनुसार विभाग की टीमें टूटे पोल की जगह नये पोल खड़े करके बिजली आपूर्ति सुचारु रूप से चालू करने में जुटी हुई हैं।**

जानकारी के अनुसार, अधंड़ से जोधपुर डिस्कॉम के 33 केवी और 11 केवी के कुल 577 पोल गिर गए हैं। 10 ट्रांसफॉर्मर टावर भी धराशायी हो गए हैं। तूफान की चपेट में आने से डिस्कॉम के भोजका पॉवर हाउस में लगा एक पावर ट्रांसफॉर्मर भी गिर गया, जिसकी लागत करीब 53 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि अंधड़ से जोधपुर डिस्कॉम वितरण विभाग को करीब एक करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

अधंड़ से निगम के प्रसारण विभाग की अलग- अलग लाइनों के कुल 15 टावर गिर गए हैं। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर नुकसान का आकलन किया। इसके साथ ही टूटे पोलों की जगह नए पोल खड़े करके बिजली आपूर्ति सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बिजली निगम के जैसलमेर एसई भैराराम चौधरी ने बताया कि तूफान की चपेट में आने से जोधपुर डिस्कॉम वितरण निगम को एक करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डिस्कॉम के 33 केवी के 27 पोल गिरे हैं। इसके अलावा, 11 केवी के 550 पोल धराशायी हुए हैं। भोजका पावर हाउस का पावर ट्रांसफॉर्मर व अन्य छोटे बड़े 10 ट्रांसफॉर्मर भी गिरे हैं। डिस्कॉम की टीम मौके पर जुटी हुई हैं। डिस्कॉम टीमों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पोल खड़े कर बिजली आपूर्ति सुचारु की जाए।

एनआईए ने तहुव्वर राणा की आवाज़ और लिखावट के नमूने लिए

नयी दिल्ली, 03 मई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की आवाज और लिखावट के नमूने शनिवार को लिये। राणा को 10 अप्रैल को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था।

राणा के वकील पीयूष सचदेव ने यहां कहा कि विशेष अदालत के पहले के आदेश के अनुसार, एनआईए ने मुख्यालय में राणा की आवाज का नमूना लिया और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) के समक्ष उसकी लिखावट के नमूने भी एकत्र किये।

सोमवार को अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा की एनआईए की हिरासत 12 दिन और बढ़ाकर 09 मई तक कर दी थी, जबकि बुधवार को अदालत ने उसकी आवाज और लिखावट के नमूने प्राप्त करने के लिए एनआईए के आवेदन को स्वीकार कर लिया था।

- **गौरतलब है कि हाल ही में विशेष अदालत ने एनआईए को राणा की आवाज़ और हस्तलिपि का सैम्पल लेने की अनुमति दी थी।**

गौरतलब है कि राणा उन आरोपियों में से एक है, जिसके खिलाफ एनआईए ने 2011 में और मुंबई पुलिस ने 2023 में आरोप पत्र दायर किया था।

एनआईए ने राणा पर 26/11 मुंबई हमलों के लिए एक बड़ी साजिश रचने का आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि मुंबई पुलिस ने मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी मुख्य भूमिका के मद्देनजर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पायलट पति अपनी पायलट पत्नी व बेटी को भरण पोषण भत्ता दे

जयपुर, 3 मई। जयपुर मेट्रो-प्रथम की फैमिली कोर्ट-एक ने पारिवारिक विवाद से जुड़े एक मामले में पायलट पति को निर्देश दिया है कि वह अपनी पत्नी, जो खुद पायलट है, को 80 हजार रुपए व बेटी को 60 हजार रुपए, अर्थात कुल 1.40 लाख रुपए हर महीने भरण-पोषण की राशि दे। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम भरण पोषण की यह राशि प्रार्थना पत्र दायर करने की तारीख 30 नवंबर 2024 से दो किस्तों में देय होगी और हर महीने की दस तारीख तक देनी होगी। कोर्ट ने यह आदेश पत्नी के अंतरिम भरण पोषण हेतु दायर प्रार्थना पत्र पर दिया।

- **फैमिली कोर्ट ने पायलट पत्नी को 80 हजार रूपए तथा बेटी को 40 हजार रूपए हर माह भरण पोषण के लिए देने के आदेश दिये।**

कोर्ट के पीठासीन अधिकारी वीरेन्द्र कुमार जसूजा ने आदेश में कहा कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेजस्वी यादव ने प्र.मंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, जातिगत जनगणना के निर्णय के बाद

पत्र में तेजस्वी ने जुडीशियरी व प्राइवेट सैक्टर में भी आरक्षण की मांग की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे एक पत्र में बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना से सम्बंधित आग को और भड़का दिया और न्यायपालिका व प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण देने की मांग की है।

उन्होंने मंडल आयोग की लम्बित सिफारिशों के तुरंत क्रियान्वयन की मांग की और कहा प्राइवेट सैक्टर, ठेकों और न्यायपालिका में जातिगत जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार जाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। "तेजस्वी ने कहा संविधान ऐसे एक्शन का नैतिक और कानूनी आधार देता है।"

तेजस्वी ने कहा, हमारा संविधान नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से निर्देश देता है कि आर्थिक असमानता कम की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि संसाधनों का समान वितरण हो। जब हम जानेंगे कि कितने नागरिक वंचित समूहों से हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है तब अधिक सटीकता के साथ लक्षित हस्तक्षेप तैयार किए जाने चाहिए। निजी क्षेत्र जो सार्वजनिक संसाधनों का प्रमुख लाभार्थी रहा है, सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं से अलग नहीं रह सकता। कार्पोरेट कम्पनियों को पर्याप्त लाभ मिलता रहा है, रियायती दरों पर जमीन, बिजली पर सब्सिडी, कर छूट, बुनियादी सुविधाएं और विभिन्न प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन।

- **तेजस्वी का तर्क है कि प्राइवेट कॉर्पोरेट सैक्टर, भूमि सब्सिडी, टैक्स रियायतें आदि सरकारी सहायता का लाभ उठाता है। अतः कॉर्पोरेट जगत जो भी नौकरियां देता है या पदोन्नति देता है, उसमें देश की विविधता (कमज़ोर वर्ग) को भी पूरा लाभ मिलना चाहिये।**
- **तेजस्वी ने अपने पत्र में लिखा कि बिहार में किये गये जातिगत सर्वे में उजागर हुआ कि ओबीसी व इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की संख्या 63 प्रतिशत है बिहार में, इस आंकड़े ने उन कई किंवदंतियों को नेस्तनाबूद कर दिया, जो समाज में यथास्थिति बरकरार करने के लिये फैलायी गई थीं।**
- **तेजस्वी के अनुसार, संविधान में प्रावधान है कि समाज में आर्थिक विषमताएं खत्म हों तथा संसाधनों का "इक्विटेबल" वितरण हो। अतः जातिगत जनगणना के बाद, हम दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को चिन्हित करके उन्हें सरकारी योजनाओं, आरक्षण आदि का पूरा लाभ दे सकेंगे।**

उन्होंने परिसीमन पर भी चिंता जताई और ओबीसी व ईबीसी के राजनैतिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया, जिन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग रखा जाता है उन्होंने कहा विधानसभाओं व संसद में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए।

तेजस्वी ने लिखा कि "कई वर्षों तक आपकी सरकार व एनडीए के घटक दल जातिगत जनगणना को समाज को बांटने वाला बताकर नकारते रहे। जब बिहार ने कास्ट सर्वे शुरु किया तब आपकी सरकार ने, आपके अफसरों ने कई रोड़े अटकाए। आपकी पार्टी ने इसकी आवश्यकता पर सवाल किए। पर देर से ही सही आपने जो निर्णय लिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रदेश के छोटे खान बजरी मालिकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण ओदश!

'जिन खानों के द्वारा बजरी खनन करने के आवेदन को एस.इ.आई.ए.ए. ने स्वीकृति दे दी है, उनमें खनन गतिविधि शुरु की जा सकती है'

-यादवेन्द्र शर्मा-

नई दिल्ली, 3 मई। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में सक्रिय और बजरी खनन कर रहीं करीब 5,000 छोटी खानों को राहत दी है, जिन्हें बजरी खनन करने के लिए "शॉर्ट-टर्म" परमिट मिला हुआ है और प्रदेश की इन्वायरनमैंट इम्पैक्ट एसैसमैंट अथॉरिटी द्वारा स्वीकृति भी प्राप्त है।

दरअसल इस मामले के तथ्यों के अनुसार, "नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल" (एन.जी.टी.) ने आदेश दिया था कि बजरी खनन वाली खानों को राज्य के इन्वायरनमैंट इमपैक्ट एसेसमैंट अथॉरिटी (एस.इ.आई.ए.ए.) द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। एन.जी.टी. के इस आदेश से पूर्व कई राज्य सरकारें, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, जिला स्तरीय इन्वायरनमैंट इम्पैक्ट एसैसमैंट अथॉरिटी द्वारा बजरी खनन करने की स्वीकृति मुहैया कराया करती थीं। परंतु एन.जी.टी. के समक्ष जनहित में दायर याचिकाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया गया कि जिला स्तरीय समितियां बजरी खानों को खनन की स्वीकृति देने के लिए किसी भी रूप में उपयुक्त नहीं हैं और उनके पास ऐसे कोई भी विशेषज्ञ या एक्सपर्ट उपलब्ध नहीं हैं, जो बजरी खनन के पर्यावरण पर प्रभाव को माप सकें। इसका अर्थ था कि एन.जी.टी. के समक्ष यह सिद्ध किया गया कि जिला स्तरीय अधिकारी मनमाने तरीके से बजरी खनन की छोटी-बड़ी "लीज़" जारी कर रहे थे, पर एन.जी.टी. ने अपने आदेश से इस पर रोक लगा दी।

- **सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अदालती फैसलों और अपीलों में फंसे करीब 5,000 खान मालिकों को राहत मिली।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन गतिविधि को अनुमति देने के लिए एस.इ.आई.ए.ए. को जिम्मेदार विभाग मानते हुए एन.जी.टी. के फैसले को सही माना और राज्य सरकार को इस आदेश की पालना करने को कहा।**
- **गौरतलब है कि पिछली गहलोत सरकार में एस.इ.आई.ए.ए. ने बजरी खनन की अनुमति मांग रही 16-17 हजार खानों में से केवल 4,500-5,000 खानों को ही जाँच करके खनन की अनुमति दी और करीब 2,000 आवेदनों को अस्वीकार किया। बचे हुए आवेदनों पर कोई फैसला नहीं दिया गया, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिला।**
- **उल्लेखनीय है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने एस.इ.आई.ए.ए. के सभी सदस्यों की अभी तक नियुक्ति नहीं की है, जिस वजह से बजरी खनन के कई आवेदनों पर फैसला नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की एस.इ.आई.ए.ए. और राज्य सरकार को जवाब प्रस्तुत करने और प्रस्तावों की जाँच करने के लिए दूसरी बार समय दिया।**

पाठकों को यह भी बता दें कि गहलोत सरकार के दौरान रिटायर्ड

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महिला की हत्या करने वाले युवक को उम्र कैद की सजा

जयपुर, 3 मई। सत्र न्यायालय, महानगर प्रथम ने खो-नागोरियान थाना इलाके में धारदार चाकू से कई वार कर महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त गौतम जाटव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी नंदिनी व्यास ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त

- **अभियुक्त ने दुकान से चाकू खरीद कर महिला के पेट पर कई गंभीर वार किये थे।**

के खिलाफ हत्या का अपराध साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्त ने भागन्ती देवी की हत्या करने के आशय से ही दुकान से चाकू खरीदा था और उस चाकू से उसके पेट पर कई बार गंभीर वार किए, ताकि हर स्थिति में उसकी मृत्यु हो सके। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एलए खान ने बताया कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)